

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

क्रमांक: एफ 5(642)डीओआईटी/टेक/12/4153

दिनांक : 27 जुलाई, 2012

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) के परिपत्र क्रमांक प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2012/पार्ट-1। दिनांक 18.07.2012 के क्रम में इस विभाग के जिलों में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी (एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर या सूचना सहायक) को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जन-सुनवाई अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जन-सुनवाई अधिकारियों को अधिनियम के तहत प्राप्त सभी शिकायतों/मामलों का निराकरण 21 दिवस की निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करना होगा।

(संजय मल्होत्रा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक: एफ 5(642)डीओआईटी/टेक/12/4153

दिनांक : 27 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (तकनीकी), आर. आई. एस. एल. जयपुर।
4. निजी सहायक, जिला कलक्टर।
5. समस्त परियोजना प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
6. समस्त जिलों के नॉडल अधिकारी।
7. समस्त जिलों के अधिकारी/कर्मचारी।

(संजय मल्होत्रा)
एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर
कार्यालय सचिव एवं आ. वि. अधिकारी
निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान, जयपुर